

लोक प्राधिकार की बाध्यताएं
प्रशाखा-5, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

(1)	संस्थाओं के कार्य, कर्तव्य एवं अन्य ब्यौरा।	लागू नहीं है।
(2)	अपने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्ति तथा कर्तव्य।	सभी शक्तियाँ कृषि उत्पादन आयुक्त एवं कृषि निदेशक में समाहित/कर्मचारियों का कर्तव्य उनके निदेश/आदेश का अनुपालन करना।
(3)	संस्थान में निर्णय करने संबंधी अधीक्षण और उत्तरदायित्व संबंधी प्रक्रिया।	कृषि उत्पादन आयुक्त/कृषि निदेशक के आदेश का अनुपालन करना है।
(4)	कार्य करने के लिए सीपित मापदंड।	माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में दायर वाद/अवमाननावाद से संबंधित याचिका/आदेश पत्र प्राप्त होने पर विभाग के संबंधित प्रशाखाओं में भेजना।
(5)	अपने कार्य के निष्पादन के लिए विभाग द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले नियमों, आदेशों अभिलेखों एवं संहिताओं का विवरण।	लागू नहीं है।
(6)	विभाग के पास उपलब्ध विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों की सूची तैयार करना।	विधि शाखा में प्राप्त पत्र/वाद/अवमाननावाद को विभाग के संबंधित प्रशाखा में भेज दिया जाता है।
(7)	निर्णय लेने की प्रक्रिया में सर्वसाधारण जनता से सलाह/मशविरा लेने की कोई व्यवस्था है तो उसका ब्यौरा।	लागू नहीं है।
(8)	न्यास परिषद, समिति या अन्य कोई व्यवस्था जिसमें दो से अधिक सदस्य हों, उसका उल्लेख। ये बैठकें सर्वसाधारण के लिए खुली है या नहीं, इनका कार्य विवरण जनता की उपलब्ध है या नहीं, उनका पूर्ण विवरण।	लागू नहीं है।
(9)	अपने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की डायरेक्ट्री।	1. श्री नरेश कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी-05, विधि शाखा 2. श्री अरविन्द कुमार, सहायक, विधि शाखा 3. श्री रमेश ठाकुर, सा0 सहायक, विधिशाखा
(10)	अपने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन तथा मुआवजा की कोई व्यवस्था, यदि नियम में हो तो उसका ब्यौरा।	लागू नहीं है।
(11)	अपने विभिन्न एजेन्सियों के लिए निर्धारित बजट, योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित खर्च और भुगतान की गयी रकम का ब्यौरा।	लागू नहीं है।
(12)	अनुदान कार्य[मों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया एवं लाभान्वितों की सूची।	लागू नहीं है।
(13)	विभाग द्वारा दिए गए रियात, परमिट या अधिकार पत्र पानेवालों का विवरण।	लागू नहीं है।

(14)	उक्त सभी सूचनाओं को इलेक्ट्रानिक रूप से उपलब्ध कराना।	लागू नहीं है।
(15)	जनता द्वारा सूचना मांगने के लिए उपलब्ध सुविधाओं , इंटरनेट, पुस्तकालय या अन्य व्यवस्था का पूर्ण विवरण।	लागू नहीं है।
(16)	विभाग के जन सूचना पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण।	आभांशु सी0 जैन उप कृषि निदेशक (सूचना)–सह–नोडल पदाधिकारी आई0 टी0 बिहार, पटना।
(17)	सरकार द्वारा प्रावधानित कोई अन्य सूचना या विवरण। इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष अद्यतन करना।	लागू नहीं है।